सभी औद्योगिक क्षेत्र दोहरे कर से मुक्त

यूपीसीडा की बोर्ड बैठक में बचे 34 क्षेत्रों के लिए भी लिया गया फैसला

अमर उजाला ब्यूरो

लखनऊ। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) के सभी 154 औद्योगिक क्षेत्रों के उद्यमियों को दोहरे कर से मुक्ति मिल गई है। सोमवार को यूपीसीडा के कानपुर मुख्यालय में मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में आयोजित 47वीं बोर्ड बैठक में शेष 34 औद्योगिक क्षेत्रों को भी दोहरे कर से निजात दे दी गई।

अब उन्हें रखरखाव के लिए केवल यूपीसीडा को कर देना होगा। अभी तक नगर निगम को भी कर देना पड़ता था। नए नियम से उद्यमियों के लगभग 90 करोड़ रुपये बचेंगे। अभी तक 120 औद्योगिक क्षेत्रों के लिए यह सुविधा उपलब्ध थी। सोमवार के फैसले के बाद 154 क्षेत्र इसमें शामिल हो गए हैं। यूपीसीडा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) मयूर महेश्वरी ने बताया कि प्राधिकरण के सभी औद्योगिक क्षेत्रों को दोहरे कर से निजात मिल गई है।

कानपुर स्थित यूपीसीडा मुख्यालय में उद्यमियों को यूनिक आईडी पत्र देते मुख्य अतिथि मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह। -संवाद

प्रयागराज और आगरा की परियोजनाएं मंजूर

- प्रयागराज की सरस्वती हाइटेक सिटी (1138.78 एकड़) और आगरा (1058.14 एकड़) में भारत सरकार की परियोजना अमृतसर-कोलकाता इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर के अन्तर्गत इंटिग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बनाने के लिए एसपीवी (स्पेशल परपज व्हैकिल) का प्रस्ताव बोर्ड ने पारित कर दिया। वेयरहाउस परियोजना के लिए औद्योगिक दरों पर जमीन निवेशकों को देने के लिए दरों में एकरूपता लाने का प्रस्ताव भी मंजूर हो गया।

ये कदम चरणबद्ध रूप से उठाया गया। सभी 154 औद्योगिक क्षेत्रों में रखरखाव और विकास के काम प्राधिकरण को स्थानांतरित कर दिए गए हैं। इसके लिए सलाहकार की नियुक्ति की गई है, जो तीन महीने में अपनी रिपोर्ट देगा। इसके बाद औद्योगिक इलाकों की सड़कें, बिजली, कूड़ा मैनेजमेंट, वेंडिंग जोन, पार्कों का रखरखाव और यूटिलिटी की सुविधाएं देने को बोर्ड ने मंजूरी दे दी।

प्रमुख फैसले : बाराबंकी के लिए एकमुश्त भूमि आवंटन नीति मंजूर

- बाराबंकी (69.86 एकड़), प्रयागराज (175 एकड़), बांदा (90 एकड़) और बलिया (57 एकड़) में बल्क भूमि आवंटन नीति को स्वीकृति।
- निवेशकों के लिए एटा के ओरनी गांव में 78.46 एकड़ और कानपुर नगर, सेनपूरबपारा, रमईपुर में 130.40 एकड़ अधिग्रहीत जमीन पर मानचित्र स्वीकृत।
- उत्तर प्रदेश ड्रग्स फार्मास्यूटिकल्स की बन्द इकाई की 12.84 एकड़ भूमि दोबारा खरीदने को मंजूरी।
- आवासीय योजनाओं में पट्टा विलेख निष्पादन की सीमा 180 दिन बढ़ाए जाने की मंजूरी।
- भूखण्ड पर भवन निर्माण के लिए समय सीमा के अन्तर्गत निर्माण न करने पर पेनाल्टी की नीति स्वीकृत।